भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 475

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना

475. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसका उद्देश्य झालावाड़ और बारां जिलों के लिए सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन में सुधार करना है और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल किए जाने और धन आवंटन के बावजूद इसकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) बांध, जल सुरंग और सिंचाई बुनयादी ढांचे सहित इस परियोजना के प्रमुख घटकों के पूरा होने में देरी का कारण बनने वाली विशिष्ट चुनौतियां क्या हैं;

(ग) इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना की धीमी प्रगति के बारे में स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को किस तरह से दूर करने की योजना बना रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है कि उक्त परियोजना बिना अधिक विलंब के पूरी हो और इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाए?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ): परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा विनिर्मित किया जा रहा है और इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना से 2.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में प्रैशराइज्ड पाइप सिंचाई नेटवर्क के माध्यम से 1.22 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता के साथ राजस्थान के झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में पेयजल सहित औद्योगिक जलापूर्ति की जाएगी।

इस समय, बांध और सुरंग के 88% कार्य के साथ नहर और पाइप नेटवर्क का 60% कार्य पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना के सिंचाई और जलापूर्ति घटकों (विनिर्माण) पर नवंबर 2024 तक उपर्युक्त घटकों की अनुमानित लागत 4,605.99 करोड़ रुपए की तुलना में 3,473.43 करोड़ रुपए के व्यय किया जाना सूचित किया गया है। इसके अलावा, इसे 364.19 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है और परियोजना के 694.78 करोड़ रुपए की पात्र केंद्रीय सहायता के समक्ष 69.49 करोड़ रुपए की राशि हेतु मदर सैंक्शन जारी की गई है।

इस परियोजना को समय से पूरा किए जाने में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य प्रमुख चुनौतियां रही हैं। इसके स्थल विशिष्ट डिज़ाइन और कार्यान्वयन संबंधी मामले भी कार्य की अपेक्षित गति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना से प्रभावित लोगों और किसानों से जुड़े मामलों का निपटान नियमित रूप से किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) परियोजनाओं के अधिदेश को देखते हुए, इस परियोजना की नियमित निगरानी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा परियोजना-वार परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाता है। इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भी की जाती है।

*****